दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 13-09-2025

हाई कोर्ट ने 16 साल बाद रद्द की चीनी-उड़द दाल की जब्ती

कोर्ट ने कहा- बिना नोटिस कार्रवाई अवैध, खाद्य विभाग ने 2009-10 में दो दुकानों में की थी कार्रवाई

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने चीनी और उड़द दाल की जब्ती का आदेश 16 साल बाद निरस्त कर दिया है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बिलासपुर के जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया। कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(बी) के तहत नोटिस दिए बिना जब्ती करना पूरी तरह से अवैध है।

24 अगस्त 2009 को सुनील कुमार दयालानी की फर्म पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। रजिस्टर में 1118 क्विंटल चीनी दर्ज थी, जबकि मौके पर 2086.50 क्विंटल मिली। इस पर 1986.50 क्विंटल चीनी जब्त कर ली गई। इसी तरह 20 जनवरी 2010 को राजकुमार सिदार की श्रीचंद दाल मिल की जांच हुई। रजिस्टर में 2370.52 क्विंटल उड़द दर्ज थी, जबकि 4590 क्विंटल मिली। इसमें से 698.89 क्विंटल उड़द दाल जब्त की गई। दोनों व्यापारियों ने अपील की, लेकिन 6 जुलाई 2012 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय बिलासपुर ने जिला मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रखा। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई। सीनियर एडवोकेट सुनील ओटवानी ने तर्क दिया कि जब्ती से पहले नोटिस देना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने मुकेश हरियानी बनाम राज्य शासन मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि इसी आधार पर पहले भी हाईकोर्ट जब्ती रद्द कर चुका है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 6(बी) की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसमें नोटिस, लिखित आपत्ति और व्यक्तिगत सुनवाई जरूरी है। बिना इन प्रक्रियाओं का पालन किए जब्ती करना व्यापार की संवैधानिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (जी)) का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर के 18 अप्रैल 2011 के आदेश और 6 जुलाई 2012 के सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने दोनों आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को मंजूर करते हुए चीनी और उड़द दाल की जब्ती रद्द कर दी। कहा कि जब्ती की कार्रवाई करते समय अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।